

CERTIFICATE OF RECOGNITION

DISTRICT EDUCATION OFFICE HEADQUARTER, ^{SECONDARY} KOTA (RAJ)

(Name & Address of the issuing authority)

No. 325-326

Date: 22-8-2023

To :

SHIV JYOTI CONVENT SENIOR SECONDARY SCHOOL
RATHKANKARA, RAWATBHATA ROAD KOTA

(Name & Address of the school)

Sir/ Madam,

Sub: Recognition Certificate for the school under RULE-2011 RULE B-K SUBRULE (4)
(Rule/ sub- rule of the State Act/ Rules).

Ref:

With reference to your application dated and subsequent school inspection in this regard, I hereby convey the grant of Recognition to SHIV JYOTI CONVENT SENIOR SECONDARY SCHOOL
(Name & Address of school) for class I to VIII standard for the period (no. of years)
from the academic year to in compliance to section 18 of Right of
Children to Free and Compulsory Education, Act, 2009 & rule of
..... (State Act/ Rule).

The above recognition is subject to the following conditions:-

1. The temporary recognition accorded to the school is valid from the academic year APRIL to MARCH and is to be renewed at an interval of every years.
2. The grant of recognition is available initially for classes I to VIII standard and to be extended for Secondary /Senior Secondary classes subsequently in due course of time.
3. The school shall abide by the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the (State Education Act/ Rules).
4. The school shall admit in pre-school / class I to the extent of (%age) of the strength in each class, children belonging to Weaker Section and Disadvantaged Group in the neighborhood and provide free and compulsory elementary education till its completion.
5. The school shall maintain a separate bank account for the purpose of reimbursement.

PRINCIPAL

SHIV JYOTI CONVENT SR. SEC. SCHOOL
RATHKANKARA, KOTA

Secretary

Shiv Jyoti Bal Vidhya
Niketan Shiksha Sadani

6. The school shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parent or guardian to any screening procedure.
7. The school shall not deny admission to any child, -
 - a. For lack of age proof if such admission is sought subsequent to the extended period prescribed for admission.
 - b. On the ground of religion, caste or race, place of birth or any of them.
8. The school shall ensure that,-
 - a. No child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in a school.
 - b. No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
 - c. No child is required to pass any board examination till the completion of elementary education.
 - d. Inclusion of students with disabilities/ special need as per provision of the (rule/ clause of State Act).
 - e. The teachers are recruited with minimum qualifications as laid under (rule/ clause of the state Act).
 - f. The teachers perform his duties specified under (rule/ clause of the state Act).
9. The school shall follow the syllabus on the basis of curriculum laid down by appropriate authority.
10. The school shall maintain the standards and norms as specified in (rule/ clause of the state Act).
11. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the name of school.
12. The school building plan must have been approved by the current rules or G. Os. The school building or other structures and the grounds are used only for the purposes of education and skill development. Construction work within the compound should not be carried out in school working hours and safety measures in all respect are under whole responsibility of the managements.
13. The school is run by a society registered under the ^{RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT 1958} (Act under with Society is registered), or a public trust constituted under any law for the time being in force.
14. The school is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons.
15. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared.
16. The school shall furnish such reports and information as may be required by the competent authority from time to time and shall comply with such instructions of the State Government or the competent authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.
17. (language subject) shall be taught as a subject from in standards I to X in all schools notified under (concerned Act/ rule) from academic session recognition is granted.


 PRINCIPAL
 SHIV JYOTI CONVENT SR. SEC. SCHOOL
 RATHKANKARA, KOTA


 Secretary
 Shiv Jyoti Bal Vidhya
 Niketan Shiksha Saraiti

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
अजमेर



प्रेषक :-
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर

प्रेषित :-
प्रधानाचार्य,
शिव ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय,
रत्नकण्ठी, कोटा

क्रमांक - मान्यता/ 3234/2000/ 0

दिनांक

स्थायी मान्यता पत्र

सहायक

अध्यक्ष महोदय द्वारा आपके विद्यालय को विमानानुसार माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर पर धर्म 2000 से मान्यता प्रदान की जाती है।

अनिवार्य विषय : हिन्दी, अंग्रेजी।

वैकल्पिक विषय : विज्ञान हिन्दी, विशेष अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान।
विज्ञान का : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित।

भवदीय
उप-सचिव
निदेशक शिक्षा

दिनांक

पूर्वक्रम संख्या - मान्यता /

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ प्रेषित :-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, प्रथम/द्वितीय

उप-सचिव

Principal

Shiv Jyoti Sr. Sec. School
Naya Nohra, Borkhandi
Talwandi, Kota (Raj.)

PRINCIPAL

SHIV JYOTI CONVENT SR. SEC. SCHOOL
RATHKANKARA, KOTA

Secretary

Shiv Jyoti Bal Vidhya
Niketan Shiksha Sarathi


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
 :: आदेश ::

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प० ८ (५५) शिक्षा-५/०४ जयपुर दिनांक 21.09.2005 एवं 23.05.2007 के क्रम में निर्देशानुसार शिव ज्योति बाल विद्यानिकेतन शिक्षा समिति, कोटा द्वारा संचालित शिव ज्योति सीनियर सैकण्डरी स्कूल, नया मोहरा, बोरखण्डी, कोटा को वर्तमान स्थान से रथकांकरा, कोटा में भवन परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संस्था को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 की पालना करनी होगी।

- ५२ -

उप निदेशक (माध्यमिक)
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर


- क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा/अ-२-३/भ.प./शिव ज्योति/११ दिनांक : 23/11/11
 प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र, 2 सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, नई दिल्ली-110 301 को भेजकर लेख है कि इस कार्यालय द्वारा जारी संस्था के अनापत्ति प्रमाण पत्र में उपरोक्तानुसार संशोधन कर सुधित करें।
 2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), कोटा
 3. सचिव, शिव ज्योति बाल विद्यानिकेतन शिक्षा समिति, कोटा
 4. संबंधित संस्था प्रधान शिव ज्योति सीनियर सैकण्डरी स्कूल, नया मोहरा, बोरखण्डी, कोटा
 6. गार्ड फंजिका


 उप निदेशक (माध्यमिक)
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर

Manager
 School Managing Committee Change order-2011.doc
 Shiv Jyoti Sr. Sec. School
 Rathkankara, Kota-9 (Raj.)


 Secretary

Shiv Jyoti Bal Vidhya
 Niketan Shiksha Samiti


 PRINCIPAL
 Shiv Jyoti Sr. Sec. School
 Rathkankara, Kota-9 (Raj.)


 PRINCIPAL
 SHIV JYOTI CONVENT SR. SEC. SCHOOL
 RATHKANKARA, KOTA

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8 (55) शिक्षा-5/04 जयपुर दिनांक 21.09.2005 एवं 23.05.2007 के क्रम में निर्देशानुसार शिव ज्योति बाल विद्या निकेतन शिक्षा समिति, तलपवंडी, कोटा द्वारा संचालित शिव ज्योति सीनियर सेकण्डरी स्कूल तलपवंडी, कोटा को वर्तमान स्थान तलपवंडी, कोटा से नया नोहरा, बोरखण्डी, कोटा में भवन परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संस्था को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1999 एवं नियम 1993 की पालना करनी होगी।

Sr
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिवि-माध्य/मा/अ-2-3/4040/शिव ज्योति/10 दिनांक - 2-8-10

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र-2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, विकास मार्ग, नई दिल्ली-92 को भेजकर लेख है कि इस कार्यालय द्वारा जारी संस्था के अनापत्ति प्रमाण में उपरोक्तानुसार संशोधन कर सुचित करें।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), कोटा
3. सचिव, शिव ज्योति बाल विद्या निकेतन शिक्षा समिति, तलपवंडी, कोटा
4. संबंधित संस्था प्रधान शिव ज्योति सीनियर सेकण्डरी स्कूल तलपवंडी, कोटा
5. गार्ड फंजिका

JL
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

PRINCIPAL
Shiv Jyoti Sr. Sec. School
Rathkankara, Kota-9 (Raj.)

Manager
School Managing Committee
Shiv Jyoti Sr. Sec. School
Rathkankara, Kota-9 (Raj.)

PRINCIPAL

SHIV JYOTI CONVENT SR. SEC. SCHOOL
RATHKANKARA, KOTA

Secretary

Shiv Jyoti Bal Vidhya
Niketani Shiksha Samiti

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जय - संसारे, कोटा

कार्यालय - बादेश

शिव ज्योति बाल विद्या निकेतन, तलवण्डी, कोटा को
निम्न शर्तों के आधार पर प्रथम स्तर की प्रथम बस्तायी मान्यता
दिनांक १-१०-२२ से दिनांक ३०-०६-२४ तक तत्काल प्रभाव से प्रदान
की जाती है।

शर्तः -

- १:- बस्त्या के नाम पांच वर्षों के लिये सुरक्षित कोण में २०००/-
जमा कराया जावे।
- २:- प्रशिक्षित अध्यापक ही रहे जायें।
- ३:- नियमित के समय विभागीय प्रतिनिधि बुलाया जावे।
- ४:- छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावे।
- ५:- कांस्टिबल कराया जावे।

हस्ता ०


जिला शिक्षा अधिकारी,
जय - संसारे, कोटा

सूचना: विशिष्ट। सा.सा.श.प्रा.वि.२२-२३। ७३५ दिनांक २ मार्च, २३
प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं पाठनाई :-

- १:- प्रथम अध्यापक, शिव ज्योति बाल विद्या निकेतन तलवण्डी, कोटा।
- २:- अवरुद्ध नामांकन प्रारंभ, स्थानीय कार्यालय।

जिला शिक्षा अधिकारी,


जय - संसारे, कोटा



Principal

Shiv Jyoti Sr. Sec. Sch
Naya Nohra, Burkhr
Tsilwandi, Kota (R)


PRINCIPAL
SHIV JYOTI CONVENT SR. SEC. SCHOOL
RATHKANKARA, KOTA


Secretary
Shiv Jyoti Bal Vidhya
Niketan Shiksha Samiti

कार्यालय जिना शिक्षा अधिकारी शिव संस्था में कोटा
 क्रमांक-जिनाश/को/सापा-निमं/64-85/26-28 दिनांक 10-11-1985

कार्यालय आदेश

शिव ज्योति निवा शिक्षा निकेतन शिवालय द्वारा स्थापित शिव ज्योति
स्माल किंग्स निवालय (राजगढ़) को मान्यता-पत्रों के शीघ्र
 प्रार्थना/उच्च प्रार्थनाक रतक तक की मान्यता पूर्वकथा वस्थाई तौर पर दिनांक
 30 जून 1985 तक की अवधि के निम्ने शर्तद्वारा प्रदान की जाती है।

इसो शा में निर्दिष्ट किया जाता है कि निम्न बिन्दुओं पर विशेष
 ध्यान दिया जावे तथा पाठ्य को रिपोर्ट दो माह की अवधि में इस कार्यालय
 को प्रस्तुत की जाने -

1. व्याख्या के सुविधित अध्यापक रखे जावे।
2. अध्यापकों को विभागीय नियमनुसार नेलम सुकाया जावे।
3. अध्यापकों की नियुक्तियों विभाग द्वारा अनुमोदित नियम-पत्र
 के अनुसार की जावे।
4. प्रतीय वर्ष की समीक्षा पर ~~कभी~~ लेखी कावे
 ए. नं. द्वारा प्रविर्त कराय जाकर डलकी सत्यापित प्रतिलिपि कार्यालय
 को भेजी जावे।
5. अंतोडंड एंड की सुविधा ~~सुविधा~~ नियमानुसार दी जावे


मान्यता के लिए निर्धारित शर्तों को पालन न करे अथवा सम्पत्तो प्रपद
 गये जाने की स्थिति में यह विभागीय मान्यता तुरन्त प्रभां व से समाप्त कर
 दी जावेगी।


जिना शिक्षा अधिकारी
 शिव संस्था में कोटा

प्रतिलिपि सुनाथे एडम आर.ए.ए. कार्यकर्ता को देन -

- 1- सम्पद व। वर्तमानय शिव ज्योति निवालय शिवालय (राजगढ़) को देन
- 2- अतिरिक्त जिना शिक्षा अधिकारी को जिना शिक्षा अधिकारी
- 3- डंड आ जिना शिक्षा अधिकारी
- 4- प्रेषित प्रतीक स्थानीय कार्यालय
- 5- नामनिर्दिष्ट प्रभां विभागीय कार्यालय
- 6- मार्च का पत्र


PRINCIPAL
 SHIV JYOTI CONVENT SR. SEC. SCHOOL
 RATILKANKARA, KOTA


Secretary
 Shiv Jyoti Bal Vidhya
 Niketan Shiksha Sarani


 दिना शिक्षा अधिकारी 10/11/85
 शिव संस्था में कोटा
Principal
 Shiv Jyoti Sr. Sec. School
 Ratilankara

राजस्थान-सरकार
शिक्षा विभाग

क्रमांक: एफ 14/1/विद्या-1/87

जयपुर, दिनांक: 17.2.1988

श्रीमान,
प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्या,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय:- उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत
करने के सम्बन्ध में।

श्रीमान,

विद्येवाचानार नियमित मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अपने आगे उन्नत स्तर से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किए जाने हेतु माध्यमिक विद्या बोर्ड, अखिल भारतीय प्रस्ताव करता है जो राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्रमांक	विद्यालय का नाम	सत्र
1.	डिप्लोमा उच्च प्राथमिक विद्यालय, आदर्श नगर, अजमेर	1988-89
2.	भारती विद्याभवन उच्च प्राथमिक विद्यालय, साईबाबा	1988-89
3.	आदर्श सेन्ट्रल उच्च प्राथमिक विद्यालय, आरक्षीनगर, जोधपुर	1988-89
4.	त्रिभुवनेश्वरी बालविद्यानिकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय, लक्ष्मणपुरी, जोधपुर	1987-88
5.	विद्या कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोधपुर	1988-89
6.	अमर वास उच्च प्राथमिक विद्यालय, आतीपुरा, जयपुर।	1987-88
7.	सेन्ट्रल उच्च प्राथमिक विद्यालय, अजमेर	1988-89

शुद्ध

1. सत्र 9 में उन्नत स्तर कायम होना अनिवार्य है।
2. माध्यमिक विद्या बोर्ड, अजमेर द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों की पूर्ति होना का स्वयं से साधना से करनी होगी।
3. मान्यता अखिल भारतीय बोर्ड से प्राप्त कर विद्यालय के माध्यम से अधिकृत किया जाये।
4. राज्य-सरकार द्वारा कुछ हेतु आगामी पांच वर्ष तक कोई अनुदान देय नहीं होगा।

श्रीमान,
ह/0

संयोजक, शिक्षा
विभागाध्यक्ष, शिक्षा

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्या, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक: विद्या/प्राथमिक/अ-4/21313/88

दिनांक: 27.2.88

प्रतिलिपि: 5

1. विभागाध्यक्ष, शिक्षा-1, विद्या, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक विद्या बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. संयोजक निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. शिक्षा उपनिदेशक, जोधपुर विभाग, जोधपुर/जोधपुर/जोधपुर
5. शिक्षा उपनिदेशक, अजमेर विभाग, अजमेर/अजमेर/अजमेर
6. शिक्षा विभाग, बीकानेर विभाग, बीकानेर/बीकानेर/बीकानेर

Secretary

Shiv Jyoti Bal Vidhya
Niketan Shiksha Samiti

PRINCIPAL

SHIV JYOTI CONVENT SR. SEC. SCHOOL
RATHKANKAR, BIKANER

Principal

Shiv Jyoti Sr. Sec. School
Rathkankar, Bikaner

राजस्थान विद्यापीठ, प्रशासनिक एवं तालिमिक विभाग, राजस्थान, कोटा

पत्रांक : शिक्षा/माध्यमिक/अ-4/21312/4/96-97 तारीख : 24.6.96

साहिब,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
जयपुर ।

विषय : नैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय की तालिमिक माध्यमिक स्तर पर प्रमोन्नति ।

महोदय,

निरंतरतुल्य निम्न नैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की राष्ट्रीय एवं विद्या शिक्षा अधिकारी की अनुसंधान पर सत्र 1996-97 के अपने नाम के सामने उचित संख्या एवं विषय में तालिमिक माध्यमिक स्तर पर प्रमोन्नति करने की स्वीकृति गिान्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

क्र. सं. का नाम	संख्या	विषय	पि. वि. सं.
शिव ज्योति बाल विद्या निवेदन, राधकण्ठी, कोटा	द्वितीय माध्यमिक	विद्यालय शिक्षा, मौखिक, रसायन छात्र, एवं जीव विज्ञान	कोटा
	का	द्वितीय, अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र एवं मुद्रा विज्ञान	

- शर्तें : 1] स्वीकृत प्रमोन्नति के वर्ष में प्रमाण-1 एवं बाद के वर्ष में प्रमाण-2 प्रारम्भ की जाये ।
- 2] नियमावली के अनुसार छात्र/छात्राओं का प्रवेश बाधनीय है ।
- 3] एक से अधिक प्रकार का अनुदान एक नहीं होगा तथा संस्था को अपने स्तर पर बोर्ड का प्रमाण शर्तों की पूर्ति करनी होगी ।
- 4] माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जयपुर को शीघ्र ही गानना हेतु प्रमाण-1 की स्थिति द्वारा विवेका शिक्षा पार ।
- 5] संस्था को राजस्थान नैर सरकारी विद्यालय संस्था अधिनियम 1989 एवं राजस्थान नैर सरकारी विद्यालय संस्था प्रमाणपत्र, संस्थापना, अनुदान और सेवा की अधिनियम 1993 में बाधनी प्रमाणपत्रों, शर्तों एवं मानकपत्रों की पालना करनी होगी ।
- 6] वित्तीय विवरणों एवं लेखाओं की पालना करनी होगी ।
- 7] जनसंचयन काल में विद्यालयी राजकीय स्वीकृति के परिवर्तन नहीं किया जाये ।

भवदीय,

डा. निवेद्यमाध्यमिक
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिनिधि : निम्नलिखित को कुनार्थ एवं अनुदान कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1] विवेकाशिक्षा, शिक्षा अनुसंधान विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- 2] शिक्षा विद्या अधिकारी, कोटा ।
- 3] शिक्षा निवेद्य बाल विद्या निवेदन, राधकण्ठी, कोटा ।
- 4] प्रमोन्नति के-5 प्रमाण माध्यमिक अनुसंधान, निवेद्य विद्यालय, जयपुर ।
- 5] राजकीय प्रमाणपत्र ।

Principal
Shiv Jyoti Sr. Sec. School
Naya Nohra, Borkhandi
Tehrandi, Kota (Raj.)

PRINCIPAL
SHIV JYOTI CONVENT SR. SEC. SCHOOL
RATHKANKARA, KOTA

Secretary
Shiv Jyoti Bal Vidhya
Niketn Shiksha Samiti